

क्र०स० दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

२५/१०/२५

पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी ३१०। वकील पार्थी सी बटस लुनी गमी। पत्रावली का अन्वेषण किया गया। तहसीलदार फुलेरा द्वारा पत्रावली में अंकित है कि ग्राम मोरदा की वर्तमान जमावली में श्रुति पत्र सं० १३ दिनांक १५/६/२३ से भूरा पुत्र नाथू की जाति जाहद दर्ज कर दी गयी है। वकील पार्थी द्वारा भी अपने प्रा० पत्र में प्रार्थना चादिए है कि भूरा पुत्र नाथू कौम बलारि के बजाय भूरा पुत्र नाथू जाति जाहद दूरस्त किया जावे। पत्रावली के अन्वेषण से स्पष्ट है कि तहसीलदार फुलेरा द्वारा पूर्व में ही जाति दूरस्त कर दिया गया है। इसलिए अब प्रा० पत्र में चादिए गया अनगोष प्रधान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए पार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार केमा दर्ज नम्बर से कम थी। आदेश खुले न्यायालय में लुनामा गया।

(Signature)
अपरवर्क अधिकारी
साँभर लोक

